नगर पंचायत भोटा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2015 से 3/2017

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फनि (एल0ए0) खण्ड–iv दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौपें जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत भोटा, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत में निम्न प्रधान तथा सचिव कार्यरत रहेः–

(i) प्रधानः–

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती सर्वजीत कौंर	1.4.2015 से 31.3.2017

(ii) सचिवः–

1	श्री विजय कुमार शर्मा (अतिरिक्त कार्यभार)	1.4.2015 से 19.6.2015
2	श्री ओम प्रकाश शर्मा	20.6.2015 से 6.9.2016
3	श्री विनोद कुमार शर्मा (अतिरिक्त कार्यभार)	15.9.2016 से 26.9.2016
4	श्री ओम प्रकाश शर्मा	26.9.2016 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

नगर पंचायत भोटा के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्नलिखित हैः–

क्रमांक	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	दिनांक 31.3.2017 को अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	5.3	118.21
2	गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	7.1	6.62
3	दुकानों/स्टालों के किराये की राशि वसूली हेतु शेष	8.1	2.68
4	स्टालों/बूथों के किरायेदारों द्वारा खाली/छोडने पर किराये की बकाया राशि की वसूली शेष	8.2	1.27

5	दुकानों के किराये से प्राप्त आय पर सेवाकर का भुगतान न करने बारे	8.3	0.25
6	चतुर्थ व पाचवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से अनुचित व्यय	9	13.89
7	स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय	10.1	8.83
8	डिपाजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	14	50.00

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

नगर पंचायत भोटा, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री चम्बेल सिंह परमार सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 5.7.2017 से 22.7.2017 तक के दौरान भोटा में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु क्रमशः 3/2016, 8/2016 व माह 2/2016, 8/2016 के लेखाओं का चयन किया गया है जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

नगर पंचायत भोटा के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है। किसी प्रकार की गलत, अधूरी व छुपाई गई सूचनाओं के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

नगर पंचायत भोटा के लेखाओं अवधि 4/2015 से 3/2017 तक के अंकेक्षण करने का अंकेक्षण शुल्क ₹25000 बनता है। सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना

संख्या 229 दिनांक 22.7.2017 द्वारा सचिव, नगर पंचायत भोटा को अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने का अनुरोध किया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

नगर पंचायत भोटा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर भी दिया गया है।

क्र0सं0	विवरण	2014–15	2015–16	2016–17
1	प्रारम्भिक शेष (₹)	3093633	3476024	2494875
2	वर्ष के दौरान बचत खातों पर प्राप्त ब्याज (₹)	142255	194514	730853
3	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि (₹)	4991424	3230893	17431496
4	वर्ष के दौरान अपने स्त्रोतों से प्राप्त राशि (₹)	960431	712762	1337453
5	**कुल प्राप्त राशि (₹)**	**9187743**	**7614193**	**21994677**
6	वर्ष के दौरान भुगतान राशि (₹)	5711719	5119318	9280088
7	अन्तशेष (₹)	3476024	2494875	12714589

4.1 बैंक समाधान विवरणिकाः–

(i)	**रोकड़ बही के अनुसार 31.3.2017 को अन्तशेष**	**12714589**
(ii)	दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक परन्तु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए (पैरा 4.3)	(+)13597
(iii)	दिनांक 31.3.2017 को हस्तगत राशि	(–)8598
(iv)	दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों में जमा राशि	12719588

4.2 दिनांक 31.3.2017 को नगर पंचायत भोटा के विभिन्न बैंकों व सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	खाता संख्या	बैंक का नाम	शेष राशि (₹)
1	3376000100034520	पंजाब नैशनल बैंक भोटा	10960291
2	20061067443	कांगड़ा सहकारी बैंक भोटा	550775
3	50100128568920	एच0डी0एफ0सी0 बैंक हमीरपुर	193912
4	337600010007089769	पंजाब नैशनल बैंक भोटा	66376
5	FDR (एफ0डी0आर0 सं0) 3376000PU0006145	पंजाब नैशनल बैंक भोटा	865888
6	FDR एफ0डी0आर0 सं0 33760003107158015	पंजाब नैशनल बैंक भोटा	82346
		कुल योग	**₹12719588**

4.3 **दिनांक 31.3.2017 तक रोकड़ बही में दर्ज व्यय/भुगतान राशि के चैक परन्तु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए का विवरण निम्नलिखित हैः–**

क्र0सं0	दिनांक	चैक संख्या	राशि (₹)
1	27.3.2017	203529	8000
2	25.3.2017	203528	3600
3	20.3.2017	784169	1997
		कुल योग	**₹13597**

4.4 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013 की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तर की ₹116202 की वसूली कर ली गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है परन्तु वर्ष 2006–07 में कुल कम जमा करवाई गई ₹151202 को देर से जमा करवाने के फलस्वरूप हुई दण्ड ब्याज की हानि की क्षतिपूर्ति की जानी शेष है।

5.1 **अनुदानः–**

नगर पंचायत भोटा के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक प्राप्त अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** में भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय/प्राप्त राशि	कुल योग (₹)	व्यय	अन्तशेष (₹)
2015–16	2504117	3230893	5735010	3645778	2089232
2016–17	2089232	17432085	19521317	7699876	11821441

5.2 **दिनांक 31.3.2017 को अनुदान ₹118.21 लाख व्यय हेतु शेषः–**

नगर पंचायत भोटा द्वारा अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय व 31.3.17 को जाये गए अन्तशेष तथा पूर्व में अनुपयुक्त अनुदान राशियों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है। वर्ष 2015–16 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष ₹2504117 में से वर्ष 2015–16 के दौरान ₹1505903 व वर्ष 2016–17 के दौरान ₹168765 व्यय की गई थी ₹829449 दिनांक 31.3.2017 तक व्यय नहीं की गई थी।

वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से ₹3230893 अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जिसमें से ₹2139875 वर्ष 2015–16 के दौरान व ₹922230 वर्ष 2016–17 के दौरान व्यय की

गई तथा ₹168788 दिनांक 31.3.2017 को अनुपयुक्त थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से अनुदान के रूप में ₹17432085 प्राप्त हुई जिसमें से ₹6608881 वर्ष 2016–17 के दौरान व्यय की गई तथा ₹10823204 दिनांक 31.3.17 को अनुपयुक्त थी।

उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 को ₹11821441 (₹829449+₹168788 +₹10823204) अनुपयुक्त थी। अतः अनुदान राशियों को सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शेष राशियों को अविलम्ब नियमानुसार व्यय किए जाने सम्बन्धित ठोस पग उठाये जाए अन्यथा अनुयपयुक्त राशियों को सम्बन्धित विभाग/सरकार को वापिस लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

6 सावधि निवेशः–

नगर पंचायत भोटा द्वारा अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण निम्नलिखित है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में भी दिया गया है।

क्र0 सं0	**एफ0डी0 आर0 सं0**	**निवेश की तिथि**	**निवेशित राशि (₹)**	**अवधि**	**ब्याज की दर %**	**परिपक्वता की तिथि**	**परिपक्वता राशि (₹)**	**बैंक का नाम**
1	15381	25.3.2017	865888	1 वर्ष	7%	25.3.2018	928110	पंजाब नैशनल बैंक भोटा
2	58015	6.9.2016	82346	1½ वर्ष	7.30%	6.3.2018	91784	–यथोपरि–
		योग	**₹948234**					

सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को बैंक से भुनाना/पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित करें।

7.1 गृहकर ₹6.62 लाख की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत भोटा द्वारा जारी विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक गृहकरदाताओं से ₹661972 की वसूली शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा गृहकर की बकाया राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई। नगर पंचायत द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गृहकर कर बकाया राशि की वसूली न किये जाने

बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नविवरणानुसार गृहकर की ₹470556 कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी जबकि निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0 (ए) 1/87–9237–9284 दिनांक 20.6.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार करों की शत/प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किये गये थे। अतः गृहकर की समस्त राशि की वसूली हेतु समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वार्ड नं0 1

क्र0सं0	**नाम**	**वार्षिक गृहकर**	**दिनांक 31.3.2017 तक गृहकर बकाया राशि (₹)**
1	श्रीमती संध्या देवी पत्नी जगदीश चन्द	3000	65466
वार्ड नं0 II			
1	श्री बाबू राम सुपुत्र किशन चन्द	8268	36011
2	श्री कमलेश कुमार सुपुत्र देवी दास	3000	47196
वार्ड नं0 III			
1	श्रीमती बंती देवी पत्नी दीनानाथ	400	5531
वार्ड नं0 V			
1	श्री सतीश कुमार सुपुत्र चिरंजी लाल	2000	29867
2	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी नन्द लाल	500	6457
वार्ड नं0 VI			
1	श्री मनोज कुमार सुपुत्र बाबू राम	1170	15620
2	श्रीमती रागनू देवी पत्नी कश्मीर सिंह	3950	44944
वार्ड नं0 VII			
1	श्री बाल कृष्ण सुपुत्र देवी दास	3515	48776
2	श्रीमती अमृति देवी पत्नी दूलो राम	3690	22438
वार्ड नं0 VIII			
1	श्री कुलदीप शर्मा सुपुत्र अनंत राम	20000	100000
2	श्रीमती संध्या देवी पत्नी संत राम	3240	48250
		योग	**₹470556**

7.2 गृहकर का निर्धारण न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को लाखों रूपये की हानिः–

नगर पंचायत भोटा के अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2017 के दौरान जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी सीमा क्षेत्र में बन रहे भवनों मापचित्र अनुमोदन के उपरान्त भवन

मालिकों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने पर नगर पंचायत द्वारा भवन मालिकों को बिजली व पानी के कनैक्शन प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.) जारी किए गए थे, परन्तु नगर पंचायत द्वारा नये बने हुये भवनों का गृहकर निर्धारण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप इन भवन मालिकों से गृहकर की वसूली नहीं की गई थी। यह प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चल रही थी। गृहकर वसूली रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2003 के पश्चात नगर पंचायत के गृहकर भुगतान कर्ताओं की सूची में बढ़ौतरी नहीं हुई है जोकि यह दर्शाती है कि वर्ष 2003 के पश्चात नगर पंचायत में जिन भवनों का निर्माण हुआ है एवं बिजली व पानी कनैक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये है उनका नगर पंचायत द्वारा गृहकर प्राप्त नहीं किया जा रहा है जोकि चिन्ता का विषय है। वर्ष 2003 के पश्चात निर्माण किये भवनों पर गृहकर की गणना न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को लाखों रूपये की हानि हुई है। दिनांक 14.6.2013 के पश्चात नये निर्माण किए गये भवनों के बिजली एवं पानी कनैक्शन हेतु नगर पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण **परिशिष्ट "छ"** पर दिया गया है।

नये भवनों तथा निर्माण किए जा रहे भवनों का उनकी निर्माण पूर्ण करने की तिथि से नगर पालिका अधिनियम एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार गृहकर की गणना न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नगर पालिका अधिनियम एवं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण करने की तिथि से अब नियमानुसार भवन कर (गृहकर) निर्धारित करके सम्बन्धित भवन मालिकों से गृहकर की वसूली सुनिश्चित की जाए।

8.1 दुकानों/स्टालों के किराये व रेहड़ी शुल्क की ₹2.68 लाख की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत भोटा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक दुकानों/स्टालों के किराये व रेहड़ी शुल्क की बकाया ₹267694 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा किराये की वसूली हेतु कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाए तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार

किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

8.2 स्टालों/बूथों को किरायेदारों द्वारा खाली करने/छोड़ने पर किराये की बकाया ₹1.27 लाख की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत भोटा के अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2017 के दौरान दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा स्टालों/बूथों को दुकानदारों द्वारा खाली/छोडने पर किराये की बकाया ₹127250 की वसूली नहीं की गई थी। अतः उक्त राशि की वसूली हेतु पंचायत द्वारा कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाये। तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	नाम दुकानदार	किराया प्रतिमाह	स्टाल/बूथ खाली करने की तिथि	दिनांक 31.3.2017 तक किराया बकाया राशि (₹)
1	श्री सुनील कुमार सुपुत्र रोशन लाल	200	मार्च 2014	6100
2	श्री लेख राम सुपुत्र ध्याना राम	200	अगस्त 2014	22400
3	श्री लेख राम सुपुत्र बृज लाल	200	अगस्त 2014	22000
4	श्री प्रवीण कुमार सुपुत्र रोशन लाल	200	अगस्त 2014	16000
5	श्री मोहन लाल सुपुत्र दीना नाथ	200	अगस्त 2014	1800
6	श्री राम मूर्ति शर्मा सुपुत्र शिव राम	250	अगस्त 2014	20500
7	श्री चंद्र मोहन सुपुत्र ठाकुर दास	200	अगस्त 2014	24800
8	श्री देश राज सुपुत्र दतू राम	150	अगस्त 2014	13650
			कुल योग	**₹127250**

8.3 दुकानों के किराये से प्राप्त आय पर ₹0.25 लाख के सेवाकर का भुगतान न करनाः–

केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग के सेवाकर अधिनियम के अनुसार दुकानों के किराये से प्राप्त आय पर सेवाकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, लेकिन नगर पंचायत भोटा द्वारा अवधि 4/2015 से 6/2016 तक के दौरान किराये से प्राप्त राशि पर

निम्नविवरणानुसार देय सेवाकर ₹25094 का केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान नहीं किया गया था।

सेवाकर अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को सेवाकर का भुगतान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सेवाकर की भुगतान योग्य ₹25094 को केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त सेवाकर की देय राशि को सम्बन्धित विभाग को समय पर भुगतान न करने पर सरकारी प्राप्ति का दुरूपयोग किया गया। सरकारी प्राप्ति को समय पर जमा न करने के कारण यदि केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा कोई दण्ड (Panality) लगाई जाती है तो इसके लिए नगर पंचायत के सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें। अतः देय सेवाकर राशि को तुरन्त सम्बन्धित विभाग को भुगतान करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी समय पर नियमानुसार देय सेवाकर का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

वर्ष 2015–16 व 2016–17

माह/वर्ष	**किराये से प्राप्त राशि (₹)**	**सेवाकर दर %**	**सेवाकर की भुगतान योग्य राशि (₹)**
4/2015	26600	12.36%	3288
6/2015	25960	14%	3634
7/2015	24420	14%	3419
9/2015	11050	14%	1547
10/2015	1050	14%	147
11/2015	48342	14.5%	7010
12/2015	9498	14.5%	1377
1/2016	4680	14.5%	679
2/2016	3630	14.5%	526
3/2016	4680	14.5%	679
4/2016	7260	14.5	1053
6/2016	11564	15%	1735
		योग	**₹25094**

8.4 दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण न किया जाना:–

नगर पंचायत भोटा के अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2017 तक के दौरान दुकानों के किराये से सम्बन्धित इकरारनामों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दुकानदारों को कई वर्षों से दुकानें किराए पर देने के बावजूद भी इकरारनामों का नवीनीकरण

नहीं किया गया था हालाँकि आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–एफ (6) 1/85 दिनांक 21.10.2000 के अनुसार 5 वर्ष पश्चात किराये में 10% की बढ़ौतरी नियमानुसार की गई थी परन्तु दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण नहीं किया गया। अतः इस बारे में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण देते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अविलम्ब इन दुकानदारों के दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण किया जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 चतुर्थ व पाँचवे राज्य वित्त आयोग (4th & 5th SFC) की प्राप्त अनुदान राशियों से ₹13.89 लाख का अनुचित व्ययः–

अंकेक्षण के दौरान चतुर्थ व पाँचवे राज्य वित्त आयोग की प्राप्त अनुदान राशि एवं उससे किये गये व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान (4th & 5th SFC) के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार ₹39460087 अनुदान के रूप में प्राप्त हुई।

क्र0सं0	**प्राप्ति की तिथि**	**पत्र संख्या**	**प्राप्त राशि (₹)**
1	31.7.2015	UD-H (C) (10)-1/2015 4th RTGS दिनांक 31.7.15	1871016
2	30.11.2015	UD-H (C) (10)-1/2015 4th 15397-15449 (Interest) दिनांक 6.11.2015	47866
3	30.7.2016	UD-H (C) (10)-3/2015 9249-9274 दिनांक 20.7.16 (5 SFC)	2027126
		योग	**₹3946008**

उपरोक्त प्राप्त अनुदान राशियों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार (4th & 5th SFC) का उपयोग निम्न उद्देश्यों हेतु किया जाना अपेक्षित था।

1 Maintenance of Assets (like street Lights Public Toilets etc)
2 Peformance of statoyand delegated function
3 Honorarium to elected Representative

नगर पंचायत भोटा द्वारा 4th & 5th SFC की प्राप्त अनुदान राशियों का उपयोग वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त पंचायत के कर्मचारियों के वेतन व अन्य कार्यों हेतु किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "झ"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	**व्यय का विवरण**	**राशि (₹)**
1	वर्ष 2015–16 व 2016–17 में कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	966940

2	वर्ष 2015–16 व 2016–17 में कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 /सी0पी0एफ0 पर व्यय	235092
3	दूरभाष विज्ञापन, फर्नीचर व अन्य व्यय	187039
	कुल अनियमित व्यय	**₹1389071**

सरकार द्वारा जारी अनुदान को नगर पंचायत के विकास कार्यों एवं अनुदान की शर्तों के अनुसार व्यय न करके अन्य उद्देश्यों हेतु अनुदान का उपयोग करके अनुदान की प्राप्त राशि का दुरूपयोग करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः 4th & 5th SFC राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से उपरोक्त विवरणानुसार किये गये अनुचित एवं अनियमित व्यय ₹1389071 के बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति उपरान्त प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त विवरणानुसार अनुदान की प्राप्त राशि में से ₹1389071 का अनुचित व्यय करने बारे मामला निदेशालय, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

10.1 स्थापना पर ₹8.83 लाख का निर्धारित सीमा से अधिक व्ययः–

नगर पंचायत भोटा के श्रेणी वार स्वीकृत तथा भरे गए व रिक्त पदों का पूर्ण ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट "ञ"** पर दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान वेतन व अन्य भत्तों पर किए गए व्यय व कुल व्यय का अनुपात नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) सी में विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया। उपरोक्त नियम के अनुसार नगर पंचायत का स्थापना व्यय कुल व्यय के 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय का विवरण निम्नलिखित है।

वर्ष	**कुल व्यय**	**अपेक्षित 1/3rd स्थापना व्यय**	**वास्तविक स्थापना व्यय**	**निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि**
2015–16	5119318	1706439	2051731	345292
2016–17	4280088	1426696	1964133	537437
		निर्धारित सीमा से अधिक व्यय		**₹882729**

निदेशक, शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच (ए) (7) 1–87/9237–84 दिनांक 20.6.2001 द्वारा सभी सचिवों को निर्देश दिए गए थे कि स्थापना व्यय को कुल व्यय के 1/3 भाग (33**%**) तक ही सीमित रखा जाए परन्तु नगर पंचायत द्वारा इन दिशा निर्देशों को ध्यान में न रखकर वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान निर्धारित

सीमा से ₹882729 अधिक व्यय किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय मामला व अनियमितता है। अतः स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 ₹0.23 लाख का अधिक भुगतानः–

श्री कमल नयन डोगरा, लिपिक की दिनांक 28.01.2015 से नगर परिषद द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर Placement की गई थी। कनिष्ठ सहायक के पद पर Placement के पश्चात श्री कमल नयन डोगरा का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया था।

दिनांक 27.1.2015 को लिपिक के वेतनमान ₹10300–34800+3200 ग्रेड पे में वेतन	₹11130+3200 ग्रेड पे=₹14330
दिनांक 28.1.2015 को कनिष्ठ सहायक के वेतनमान ₹10300–34800+3600 ग्रेड पे में वेतन निर्धारित	11130+430=11560+360 ग्रेड पे=15160
1.10.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹11560+460=12020+3600=15620
1.10.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹12020+470=12490+3600=16090

कनिष्ठ सहायक के पद पर Placement के उपरान्त वेतन निर्धारित करते समय वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना था तथा वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाना था।

दिनांक 28.1.2015 को कनिष्ठ सहायक के वेतनमान 10300–34800+3600 ग्रेड पे में वेतन निर्धारण	₹11130+3600=14730
1.10.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹11130+450=11580+3600=15180
1.10.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹11580+460=12040+3600=15640

उपरोक्त त्रुटि का सुधार सेवा पुस्तिका के अनुसार माह 12/2016 में कर दिया गया था तथा माह 1/2017 से नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है लेकिन दिनांक 28.01.2015 से दिनांक 31.12.2016 तक अधिक भुगतान राशि की वसूली नहीं की गई थी। दिनांक 28.1.2015 से 31.12.2016 तक **परिशिष्ट "ट"** पर दिये गये विवरणानुसार ₹22606 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 228 दिनांक 19.7.2017 द्वारा सचिव नगर पंचायत के ध्यान में लाया गया था तथा सचिव नगर पंचायत

N.P. Bhota

द्वारा पत्र संख्या 2-C/NPB/2017-250 दिनांक 21.7.2017 द्वारा सूचित किया था कि उपरोक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से कर ली जाएगी।

10.3 ₹1712 का अधिक भुगतानः–

श्री अशोक कुमार, सफाई कर्मचारी का वेतन माह 6/2015 में वेतन रजिस्टर के अनुसार ₹8670 +1650=10320 था जिस पर महंगाई भत्ते की गणना 107 प्रतिशत की दर से ₹11470 की गई व भुगतान की गई थी जबकि मूल वेतन ₹10320 पर 107 प्रतिशत महंगाई भत्ते की गणना ₹11042 की जानी थी। माह 6/2015 से माह 9/2015 तक महंगाई भत्ते का भुगतान ₹11042 के स्थान पर ₹11470 किया गया था जिसके फलस्वरूप श्री अशोक कुमार को ₹428 (₹11470–₹11042) प्रति माह की दर से चार माह के लिए ₹1712 (428X4) का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 228 दिनांक 19.7.2017 द्वारा सचिव नगर पंचायत के ध्यान में लाया गया था जिसके सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या 2-C/NPB/2017-250 दिनांक 21.7.2017 द्वारा सूचित किया था कि उपरोक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर ली जाएगी।

10.4 ₹452 का अधिक भुगतानः–

श्री जगन्नाथ, सफाई कर्मचारी की सेवा पंजिका के अनुसार उनका वेतन वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) प्रदान करके निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया था।

30.11.13 को वेतन	₹5710+1650=7360
1.12.13 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹5940+1650=7590
1.12.14 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹6170+1650=7820
1.12.15 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹6410+1650=8060
1.12.16 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹6650+1650=8300

जबकि अवर सचिव (वित्त विनियम) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या दिनांक 23.11.2013 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार श्री जगन्नाथ, सफाई कर्मचारी का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना था।

30.11.13 को वेतन	₹5710+1650=7360
1.12.13 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹5710+220+1650=7580
1.12.14 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹5930+230+1650=7810

1.12.15 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹6160+240+1650=8050
1.12.16 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹6400+250+1650=8300

दिनांक 1.12.2016 से वेतन निर्धारण में सुधार कर दिया गया है लेकिन अवधि 1.12.2013 से 30.11.2016 तक अधिक भुगतान राशि में से अधिक 1.12.2013 से 31.3.2015 तक अधिक भुगतान ₹319 की गणना 4/2013 से 3/2015 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 11 में की गई थी जिसकी वसूली रसीद संख्या 1/46 दिनांक 5.4.2016 द्वारा कर ली गई है। अवधि 1.4.2015 से 30.11.16 तक निम्नानुसार अधिक भुगतान ₹452 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

अवधि	प्रतिमाह अधिक भुगतान मूल वेतन (₹)	महंगाई भत्ता (₹)	आई आर (₹)	जोड़xमाह	अधिक भुगतान राशि (₹)
1.4.15 से 30.6.15	10	11	—	21x3	63
1.7.15 से 31.12.15	10	12	—	22x6	132
1.1.16 से 30.6.16	10	13	—	23x6	138
1.7.16 से 31.7.16	10	13	—	23x1	23
1.8.16 से 30.11.16	10	13	1	24x4	96
				कुल राशि	**₹452**

उपरोक्त मामला लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 228 दिनांक 19.7.2017 द्वारा सचिव नगर पंचायत भोटा के ध्यान में लाया गया था। सचिव नगर पंचायत भोटा द्वारा पत्र संख्या 2/सी/एनपीबी/2017–250 दिनांक द्वारा सूचित किया था कि उपरोक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर ली जायेगी।

11 हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति निगम को किए अग्रिम ₹0.43 लाख के भुगतान का समायोजन न करनाः—

वाऊचर संख्या 14 दिनांक 12.8.2016 द्वारा ₹43439 का भुगतान प्रोफार्मा इन वाईस (performa Invoice) के आधार पर हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति निगम शिमला–9 को 180 सीमेन्ट बैग सप्लाई करने हेतु किया गया था। उपरोक्त भुगतान के विरूद्ध ए0सी0सी0 बरमाणा से निम्नानुसार सीमेन्ट प्राप्त हुआ था।

क्र0सं0	बिल का विवरण	मात्रा	राशि
1	ए0सी0सी0 इन्वाईस नं0 0370055785 दिनांक 12.9.16	180	32760
2	जी0आर0 नं0 0006159885 (ट्रक भाडा) दिनांक 12.9.2016		4511
			37271

उपरोक्त विवरणानुसार हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ती निगम को प्रोफार्मा बिल के आधार पर भुगतान राशि का सम्बन्धित निगम से वास्तविक राशि का बिल प्राप्त करके भुगतान राशि का समायोजन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रोफार्मा बिल के आधार पर भुगतान राशि को अग्रिम भुगतान नहीं दर्शाया गया था। हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ती निगम को अग्रिम भुगतान राशि का सामग्री प्राप्त होने पर वास्तविक बिल प्राप्त करके समायोजन न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वाँछित कार्रवाई अब करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त इस तरह के वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान किए गये अन्य भुगतानों के सम्बन्ध में भी वास्तविक बिल प्राप्त करके भुगतान राशियों का समायोजन सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में प्रोफार्मा बिल के आधार पर किए गये भुगतान को अग्रिम भुगतान दर्शाकर वास्तविक सामग्री की प्राप्ति पर अग्रिम भुगतान का समायोजन भी सुनिश्चित किया जाए।

12.1 ₹9884 का अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– श्री रमेश चन्द सोनी के घर से लम्बरी तक, वार्ड नं0 1 फेज 1 से प्रोटक्शन वाल नाली व रास्ते की मुरम्मत सें सम्बन्धित निर्माण कार्य करना

संविदाकारः– श्री नरेश कुमार

अनुबन्ध संख्याः– Works/99-UB/Dev/NPB/Tend/Estd/2015-16-V-I-568 दिनांक 18.8.15

वाउचर संख्या 124 दिनांक 15.2.2016 ₹98151

उपरोक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 7 पृष्ठ 89 से 91 पर किया गया था जिसके सम्बन्ध में चैक संख्या 644365 दिनांक 15.2.2016 ₹98151 जारी किया गया था। भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि मद संख्या 4 के अन्तर्गत वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग पलेन/रिइन्फोरसड कन्क्रीट इन ओपन फाऊंडेशन इत्यादि से सम्बन्धित किए गये कार्य की मात्र 11.88 घन मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 7 पृष्ठ 90 पर ₹3424.50 प्रति घन की दर से किया गया था जिसमें

N.P. Bhota

संविदाकार प्रीमियम 35.50 प्रतिशत जमा करके भुगतान किया गया था। उपरोक्त 11.88 घन मी0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 7 पृष्ठ 90 पर की गई थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 9.75 घन मी0 के स्थान पर 11.88 घन मी0 दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 2.13 घन मी0 (11.88 घन मी0–9.75 घन मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹3424.50+35.50**%** संविदाकार प्रीमियम) की दर से ₹9884 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 228 दिनांक 19.7. 2017 द्वारा सचिव नगर पंचायत भोटा के ध्यान में लाया गया था। सचिव नगर पंचायत भोटा द्वारा पत्र संख्या 2–सी/NPB/2017-250 दिनांक 21.7.2017 द्वारा सूचित किया था कि उपरोक्त राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से कर ली जाएगी।

12.2 ₹229 का अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– फेज 1 व 2 में धर्म सिंह के घर के पास प्रोटक्शन वाल का निर्माण कार्य
अनुबन्ध संख्याः–एन0पी0बी0/out/Civil Work/Award-2015-16-785, 786 दिनांक 5.12.15
वाउचर संख्या 124 दिनांक 15.2.16 ₹145996

उपरोक्त वाउचर द्वारा अन्य कार्यों के अतिरिक्त उपरोक्त कार्य के प्रथम व अन्तिम बिल किया गया था। भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि बिल की मद संख्या 4 द्वारा वर्णित कार्य कैरेज ऑफ अर्थ वाई मकैनिकल मीन्ज इत्यादि से सम्बन्धित किए गये कार्य की मात्रा 22.88 घन मीटर का भुगतान ₹470 प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 7 पृष्ठ 35 पर किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार उपरोक्त मद की दर ₹460 प्रति घन मीटर थी जबकि संविदाकार को भुगतान ₹470 प्रति घन मी0 की दर से किया गया था। ₹460 प्रति घन मी0 के स्थान पर ₹470 प्रति घन मी0 की दर से भुगतान किए जाने के फलस्वरूप संविदाकार को 22.88 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹10 प्रति घन मी0 (₹470–₹460) की दर से ₹229 को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी सम्बन्धित संविदाकार से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 228 दिनांक 19.7.17 द्वारा सचिव नगर पंचायत भोटा के ध्यान में लाया गया था। सचिव नगर पंचायत भोटा द्वारा पत्र संख्या

2–सी/एन0पी0बी0/2017–250 दिनाक 21.7.17 द्वारा सूचित किया था कि उपरोक्त राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से कर ली जाएगी।

13 सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 14 सीमेन्ट बैग का उपयोग न दर्शाया जानाः–

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 5 पर माह 5/2016 में 14 सीमेन्ट बैग की शेष मात्रा को न तो उपयोग किया दर्शाया गया था न ही आगे प्राप्त सीमेन्ट की मात्रा में सम्मिलित किया गया था। इन सीमेन्ट बैग के दुर्विनियोजन की सम्भावना भी इन्कार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त 14 सीमेन्ट बैग को उपयोग न करने व गणना न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इन सीमेन्ट बैग की पैनल दर से बाजार मूल्य से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 नगर पंचायत द्वारा डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई ₹50.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

नगर पंचायत भोटा द्वारा अंकेक्षण के दौरान डिपोजिट कार्य के रूप में हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग शिमला के पास ₹5000000 जमा करवाई गई। इस राशि का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ठ"** में दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा जमा करवाई गई राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

15 बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का संरक्षण न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में बिजली उपकर व वर्ष 2016–17 का शराब उपकर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मांग व प्राप्तियों के सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण भी नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती जैसे कि निर्धारित दर पर कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अपेक्षित अभिलेख का संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में उचित

अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधानों की अनुपालना न करनाः—

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधान दिनांक 8.1.2011 से सभी नगर पंचायतों में लागू थे जिसके बारे निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0डी0—एच (बी) (10)—2/2007—1923—72 दिनांक 30.1.2012 द्वारा सभी नगर पंचायतों को सूचित किया गया था तथा इसकी अनुपालना में नगर पंचायतों को यह सुनिश्चित करना था कि जिन संविदाकारों के माध्यम से निर्माण कार्य करवा रहे है वह अपने कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा कर रहे है। अंकेक्षण के दौरान पंचायत के निर्माण कार्य (टैण्डर व अन्य अभिलेख) की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा जिन संविदाकारों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाये जा रहे है वह अपने कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 जमा नहीं कर रहे है। संविदाकारों द्वारा अपने कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 जमा न करने पर यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नगर पंचायत को कोई दण्ड (Panality) लगाई जाती है तो इसे लिए सम्बन्धित आहरण व संवितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें। इसके अतिरिक्त भविष्य में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुये निर्माण कार्य करवाये जाने सुनिश्चित करें।

17 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर की वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में शेष वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

N.P. Bhota

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **सारांशः—** लेखों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —

(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-76 / 83—खण्ड—2—5833—5834
दिनांक—22.09.17शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यकता कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2 सचिव, नगर पंचायत भोटा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —

(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

परिशिष्ट (क)   पैरा सं0 1 (ग) में वर्णित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 5/1982 से 3/1990

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1995

1	पैरा–10 (8)	अनिर्णीत
2	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2003

1	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(च)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(ण)	अनिर्णीत
8	पैरा 11(ट)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(ठ)	अनिर्णीत
10	पैरा 12	अनिर्णीत
11	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(iii)	अनिर्णीत

N.P. Bhota

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2007

1	पैरा 2(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 3	अनिर्णीत
3	पैरा 4(i)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(v)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(vi)	अनिर्णीत
8	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत
9	पैरा 4(viii)	अनिर्णीत
10	पैरा 4(ix)	अनिर्णीत
11	पैरा 4(x)(c)	अनिर्णीत
12	पैरा 4(xi)	अनिर्णीत
13	पैरा 4(xiii)	अनिर्णीत
14	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
15	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
16	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत
17	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत
18	पैरा 5(vii)	अनिर्णीत
19	पैरा 5(viii)	अनिर्णीत
20	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
21	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
22	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत

N.P. Bhota

23	पैरा 6(iii)(a)	अनिर्णीत
24	पैरा 6(iii)(b)	अनिर्णीत
25	पैरा 6(iii)(c)	अनिर्णीत
26	पैरा 6(v)	अनिर्णीत
27	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत
28	पैरा 6(vii)(a)	अनिर्णीत
29	पैरा 6(vii)(b)	अनिर्णीत
30	पैरा 6(vii)(c)	अनिर्णीत
31	पैरा 6(vii)(d)	अनिर्णीत
32	पैरा 6(vii)(e)	अनिर्णीत
33	पैरा 6(viii)	अनिर्णीत
34	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत
35	पैरा 6(x)	अनिर्णीत
36	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत
37	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
38	पैरा 7(i)(a)	अनिर्णीत
39	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
40	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
41	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
42	पैरा 7(v)	अनिर्णीत
43	पैरा 7(vi)	अनिर्णीत
44	पैरा 7(vii)	अनिर्णीत
45	पैरा 7(viii)	अनिर्णीत
46	पैरा 7(ix)	अनिर्णीत

N.P. Bhota

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5 (ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6	अनिर्णीत	
4	पैरा 7	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
5	14	निर्णीत	–यथोपरि–
6	पैरा 15	अनिर्णीत	
7	पैरा 18	अनिर्णीत	
8	पैरा 19 (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा 19 (2)	अनिर्णीत	
10	पैरा 19 (3)	अनिर्णीत	
11	पैरा 19 (4)	अनिर्णीत	
12	पैरा 19 (5)	अनिर्णीत	
13	पैरा 19 (6)	अनिर्णीत	
14	पैरा 20 (1)	अनिर्णीत	
15	पैरा 20 (2)	अनिर्णीत	
16	पैरा 22 (1)	अनिर्णीत	
17	पैरा 22 (2)	अनिर्णीत	
18	पैरा 22 (3)	अनिर्णीत	
19	पैरा 24	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2010 से 3/2013

1	पैरा 5	अंशतःनिर्णीत	(₹333845 पंजाब नैशनल बैंक बचत खाता संख्या 3376000100034520 में दिनांक 13.1.14 को जमा करवा दिए गए परन्तु राशि को देरी से जमा करवाने के फलस्वरूप हुई दण्ड ब्याज की हानि की क्षति पूर्ति की जानी शेष है)

2	पैरा 8 (क्र0सं0 1 से 6 व 8)	निर्णीत	(सचिव नगर पंचायत भोटा द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
3	पैरा 10 (1) व 10 (2)	निर्णीत	(सचिव नगर पंचायत भोटा द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
4	पैरा 11	अनिर्णीत	
5	पैरा 12	अनिर्णीत	
6	पैरा 14 (क, ख, ग)	निर्णीत	(सचिव नगर पंचायत भोटा द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
7	पैरा 15 (क)	अनिर्णीत	
8	पैरा 15 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 15 (ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 15 (घ) (i) व (ii)	अनिर्णीत	
11	पैरा 16	अनिर्णीत	
12	पैरा 17	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
13	पैरा 18 (i)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
14	पैरा 18 (ii)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
15	पैरा 19	अनिर्णीत	
16	पैरा 20	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
17	पैरा 21	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹25200 बैंक ड्राफ्ट संख्या 030116 दिनांक 1.7.2015 द्वारा प्रेषित कर दिया है)
2	पैरा 4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5	निर्णीत	
4	पैरा 5 (i)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

5	पैरा 6	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा 7	निर्णीत	(–यथोपरि–)
7	पैरा 7 (क)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8	पैरा 7 (ख)	अंशतः निर्णीत	(दुकानों के किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी की जा रही है परन्तु किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण नहीं किया गया है)
9	पैरा 8	निर्णीत	(दण्ड ब्याज की वसूली रसीद संख्या 14/10 दिनांक 21.7.2017 ₹250 से कर ली गई है)
10	पैरा 9	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त) (₹26000 का भुगतान वाउचर संख्या 16 दिनांक 30.4.2016 द्वारा कर दिया गया है)
11	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10	निर्णीत	(₹8516 की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों की प्रतिभूति राशि से कर ली गई है)
13	पैरा 11	निर्णीत	(₹487 (319+168) की वसूली रसीद संख्या 1/43 व 1/46 दिनांक 5.4. 2016 द्वारा कर ली गई है)
14	पैरा 12	निर्णीत	(₹22713 की वसूली रसीद संख्या 2/24 दिनांक 30.5.2016 द्वारा कर दी गई है)
15	पैरा 13 (क)	निर्णीत	(सचिव नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
16	पैरा 13 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
17	पैरा 13 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
18	पैरा 14	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

अवधि 3/17 तक अनिर्णीत पैरों/उप पैरों की संख्या	121
अवधि के दौरान लगाए गए पैरों की संख्या	(+) 15
अवधि के दौरान निपटाए गए पैरे	(–) 24
कुल अनिर्णीत पैरे	112

N.P. Bhota

परिशिष्ट "ट" पैरा संख्या 10.2 में वर्णित

	देय राशि				भुगतान राशि					
अवधि	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	आई आर	जोड़	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	आई आर	जोड़	अन्तर Xमाह	अधिक भुगतान राशि
28.1.15 से 31.1.15	1901	2148	—	4049	1956	2210	—	4166	117X1	117
1.2.15 से 30.6.15	14730	16645	—	31375	15160	17131	—	32291	916X5	4580
1.7.15 से 30.9.15	14730	17529	—	32259	15160	18040	—	33200	941X3	2823
1.10.15 से 31.12.15	15180	18064	—	33244	15620	18588	—	34208	964X3	2892
1.1.16 से 30.6.16	15180	18975	—	34155	15620	19525	—	35145	990X6	5940
1.7.16 से 30.7.16	15180	19734	—	34914	15620	20306	—	35920	1012X1	1012
1.08.16 से 30.09.16	15180	19734	759	35673	15620	20306	781	36707	1034X2	2068
1.10.16 से 31.12.16	15640	20332	782	36754	16090	20917	805	37812	1058X3	3174
								कुल राशि		22606

N.P. Bhota